18/2022
उनवान :-
01. यशवन्तसिंह पुत्र डीगरामं जाति अहीर निवासी ग्राम ... तिजारा
—" प्रार्थी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 09-02-24............ को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:36:51 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0
## पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 18/2022

तारीख दायर 18–04–2022

तारीख फैसला 09/12/2024

[illegible] ~
01. यशवन्तसिंह पुत्र डीगराम जाति अहीर निवासी ग्राम राईखेडा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा

———:: प्रार्थी

**बनाम**

01. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

**–:: निर्णय ::–**

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि यह है कि हाल आराजी खसरा नं. 1025/111 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। जो मिन प्रार्थी की कब्जा काश्तकार खातेदारी की आराजी है। मिन प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता आ रहा है। हाल आराजी खसरा नं 1025 / 1111 रकबा 0.2500 है. साबिक आराजी खसरा नं. 447 मिन रकबा 11 बिस्वा, 445 मिन रकबा 3 बिस्वा, 448 मिन रकबा 5 बिस्वा, 435मिन रकबा 1 बिस्वा से बने है। हाल आराजी खसरा नं. 1025/1111 का रकबा 0.2500 हैक्टेयर यानि 25 ऐयर यानि 20 बिस्वा भूमि जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है। जिन अनुसार भी मिलान क्षेत्रफल में उपरोक्त भूमि 20 बिस्वा यानि 1 बीघा है परन्तु सैटलमेन्ट के समय जब नया नक्शा पैमुद किया गया तो उपरोक्त भूमि का नक्शे में अंकन कम कर दिया। जो भूमि जमाबन्दी में 25 ऐयर भूमि है। नक्शे में पैमाईश करने पर पर 23.40 ऐयर भूमि ही होती है। नियमानुसार जमाबन्दी के रकबें के अनुरूप नक्शें में अंकन आना चाहिये। जो गलती वर्तमान गलती चली आ रही है। सैटलमेन्ट विभाग को रकबे के अनुसार ही नक्शा कसीद करना चाहिये था। जो कि गलती दौराने भू प्रबन्ध हुई है। जो अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत काबिले शुद्धि है। नक्शा ट्रैस गलत अंकित होने के कारण मिन प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारो से महरूम व वंचित हो रहे है। जिसे मिन प्रार्थी शुद्धि कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नं. 1025/111 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा के वर्तमान नक्शे में रकबा बरारी कर, मुताबिक जमाबन्दी रकबा का अंकन किया जावें।

पत्रावली पर तहसीलदार तिजारा की रिपोर्ट मांगी गई। तहसील[illegible]ारा ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि हाल आराजी खसरा नं. 1025/111 रकबा [illegible] रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2073–77 यशवन्त सिंह पुत्र डीगराम जाति अहीर सा. राईखेडा खाते[illegible] बरारी करने पर उक्त खसरे का रकबा 0.22 है0 आता है जबकि उक्त खसरा नम्बर जमाबन्दी में [illegible]बा 0.25 है0 है। अतः जमाबन्दी से नक्शे लटठे रकबा 0.03 है0 की कम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:36:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

अतः हाल आराजी खसरा नं. 1025/111 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला
...थल-तिजारा यशवन्त सिंह पुत्र डीगराम जाति अहीर सा. राईखेडा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी
...ीय राजस्व नक्शे मे जमाबन्दी अनुसार रकबा पूर्ण करते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये
...ते है।

आदेश सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:36:51 IST
Reason: SelfAttested